

दिनांक 25 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

निर्यात संवर्धन योजना

4033. श्री श्रीभरत मतुकुमिल्लि:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चीन, वियतनाम, मलेशिया और थाईलैंड जैसी प्रमुख प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारतीय निर्यातकों के लिए ऋण लेने की औसत लागत कितनी है;

(ख) विगत चार वर्षों के दौरान प्रदान की गई ब्याज सहायता सहित ब्याज समानीकरण योजना का ब्यौरा क्या है और लाभार्थियों की संख्या कितनी है और कितनी निधि आबंटित और जारी की गई है;

(ग) उक्त योजना के लिए निधि का आबंटन न किए जाने के क्या कारण हैं और भारतीय निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(घ) बजट में घोषित निर्यात संवर्धन योजना का ब्यौरा क्या है और इसके अंतर्गत कौन-कौन सी विशिष्ट योजनाएं शामिल हैं और उनके कार्यान्वयन की समय-सीमा क्या है; और

(ङ) क्या नई योजना के लागू होने तक ब्याज लागत को कम करने के लिए कोई अतिरिक्त राजकोषीय अथवा नीतिगत हस्तक्षेप करने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) भारत में, रेपो दर लगभग 6.25% है, जिसमें निर्यातकों को 8 से 12% या इससे भी अधिक ब्याज दर का भुगतान करना पड़ता है, जो कि प्राधिकृत डीलर बैंकों द्वारा उधारकर्ता के प्रसार और जोखिम मूल्यांकन पर निर्भर करता है।

प्रतिस्पर्धी देशों की केंद्रीय बैंक दरें

देश	मार्च-2024 में ब्याज दर (केंद्रीय बैंक दरें)	जून-2024 में ब्याज दर (केंद्रीय बैंक दरें)	2025 में ब्याज दर (केंद्रीय बैंक दरें)
भारत	6.5	6.5	6.25 (मार्च 25)
चीन	3.45	3.35	3.1 (फरवरी 25)
मलेशिया	3	3	3 (मार्च 25)
थाईलैंड	2.5	2.5	2 (फरवरी 25)
वियतनाम	4.5	4.5	4.5 (दिसम्बर, 2024)

स्रोत: प्रतिस्पर्धी देश के संबंधित केंद्रीय बैंक।

(ख) ब्याज समानीकरण, विशेष रूप से एमएसएमई निर्यातकों के लिए, एक महत्वपूर्ण नीतिगत दस्तावेज रहा है ताकि भारतीय निर्यातकों द्वारा अपने विदेशी प्रतिस्पर्धियों की तुलना में लिए जाने वाले ऋण की उच्च लागत को कम किया जा सके।

दिनांक 30.06.2024 तक इस योजना में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) द्वारा 3% ब्याज समानीकरण पर किए गए निर्यात के लिए सभी आइटीसी (एचएस) कोडों और विनिर्माता और व्यापारिक निर्यातकों द्वारा 2% ब्याज समानीकरण पर किए गए निर्यात के लिए 4-डिजिट आइटीसी एचएस (भारतीय व्यापार वर्गीकरण की सुमेलित प्रणाली) कोड स्तर पर 410 चिह्नित प्रशुल्क लाइनें शामिल थीं। दिनांक 01.07.2024 से आगे इस योजना को एमएसएमई विनिर्माता निर्यातकों के लिए दिनांक 31.12.2024 तक आंशिक रूप से बढ़ाया गया है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए दिसंबर 2024 तक प्रति निर्यातक 50 लाख रुपये की मूल्य सीमा है।

इस योजना के अंतर्गत लगभग 11000 निर्यातक लाभ उठाते हैं।

पिछले चार वर्षों के दौरान आवंटित और जारी की गई धनराशि का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	वास्तविक व्यय (करोड़ में)
1	2021-22	3488 रुपये की प्रतिपूर्ति (पिछले वर्ष की बकाया राशि सहित)
2	2022-23	3118 रुपये की प्रतिपूर्ति (पिछले वर्ष की बकाया राशि सहित)
3	2023-24	3699.9 रुपये की प्रतिपूर्ति (पिछले वर्ष की बकाया राशि सहित)
4	2024-25	2482 रुपये की प्रतिपूर्ति (पिछले वर्ष की बकाया राशि सहित)

(ग) से (ङ) वर्तमान में, ब्याज समानीकरण को निर्यात संवर्धन मिशन के अंतर्गत विलय कर दिया गया है, जिसके लिए 2250 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन किया गया है।

सरकार वाणिज्य, एमएसएमई और वित्त मंत्रालयों द्वारा संयुक्त रूप से संचालित क्षेत्रीय और मंत्रिस्तरीय लक्ष्यों के साथ 2250 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन से निर्यात संवर्धन मिशन के संबंध में हितधारकों से परामर्श कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य निर्यात ऋण तक आसान अभिगम, सीमा पार फैक्ट्रिंग सहायता और विदेशी बाजारों में गैर-प्रशुल्क उपायों से निपटने के लिए एमएसएमई को सहायता प्रदान करना है।

अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, 'भारत ट्रेड नेट' (बीटीएन) व्यापार दस्तावेजीकरण और वित्तीयन समाधान के लिए एक एकीकृत प्लेटफार्म हेतु बजट में घोषणा की गई है।

इसके अंतर्गत शामिल विशिष्ट योजनाएं तथा उनके कार्यान्वयन की समय-सीमा अभी भी कार्य समूह के परामर्श के अधीन है।
